कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कार्पोरेटिव) की बैठक सं0 03/2001 दिनांक 22-1-2001 को प्रात: 10·30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री आर·एस· गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री आर· दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कार्पोरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री बी·पी·सिंह, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री ओ·पी· खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कार्पोरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, बी-3, जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कार्पोरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

(1) एजेण्डा आईटम्स -

1·1- एजेण्डा सं0 03/2001-1 :- शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ·नि·स· समिति की योजना मानसरोवर कॉलोनी :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- चूंकि योजना मौके पर पूर्णत: निर्मित है और यह 1983 की योजना है अत: मौके के हिसाब से भूखण्ड सं0 1 से लेकर 56 तक कुल 37 भूखण्ड (कुछ भूखण्डों में 2 नंबर अंकित है) आवासीय रूप में सामने 5 फिट सैट बैक छोड़ते हुए रो-हाऊसिंग के रूप में अनुमोदित किये गये ।

2- भूखण्ड सं0 29 से 42 के सामने स्थित रोड़ को 25 फिट अनुमोदित किया गया । बाकी अन्य सभी सड़कों को पूर्व में अनुमोदित अनुसार ही रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

....2

1·2- एजेण्डा सं0 03/2001- 2 :- गुलाबबाड़ी गृ·नि·स· समिति की योजना लक्ष्मी नगर :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि आवासीय भूखण्ड सं0 49, 50, 51 व 52, लक्ष्मीनगर को एजेण्डा में दर्शाये अनुसार अनुमोदित किया गया ।

1·3- एजेण्डा सं0 03/2001 - 3 :- संयुक्त गृ·नि·स· समिति की योजना श्रीरामनगर "बी" :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· भूखण्ड सं0 103, 104, 105, 136, 137, 138 को मौके की स्थिति के अनुसार एजेण्डा में दर्शाये अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

2· भूखण्ड सं0 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 को मौके के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है अत: मौके के हिसाब से रिनम्बरिंग अनुमोदित किया गया ।

1·4- एजेण्डा सं0 03/2001- 4 :- खुदाबाडी सोनार गृ·नि·स· समिति की योजना सत्यनगर :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि मौके पर मौजूद सड़क के सेन्टर से बांई ओर 30 फिट तक सड़क खाली करा ली जावे और भूखण्ड सं0 बी-1 से बी-5 की शेष गहराई के पट्टे जारी कर दिये जावे । तत्पश्चात् पश्चिम की ओर के प्रकरण को प्रस्तुत किया जाये ।

1·5- एजेण्डा सं0 03/2001- 5 :- सिन्धु नगर गृ·नि·स· समिति की योजना स्कीम नं0 12 :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद- विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· भूखण्ड सं0 30-31 के पूर्व की सड़क को प्रस्तावानुसार 40 फिट अनुमोदित किया गया और भूखण्ड सं0 30-31 के पट्टे 10 फिट गहराई कम करके दिये जावे ।

····3

2· पूर्व में भूखण्ड् सं0 26 को योजना से बाहर होने के कारण अस्वीकृत किया गया था परन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखण्ड् सं0 26 राजस्व खसरे में आता है अत: अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

1·6- एजेण्डा सं0 03/2001 - 6 :- म्यूचअल गृ·नि·स·समिति की योजना तारानगर "ए" :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श भूखण्ड् सं0 ए-521 का निम्नानुसार उपविभाजन स्वीकृत किया गया -

क्र0सं0	मूल भूखण्ड्	उपविभाजित भूखण्ड् सं0	क्षेत्रफल (वर्ग गज)
1-	ए- 521	ए-521 ए	88·75
2-	"	ए-521 बी	88·75
3-	"	ए-521 सी	135·69
4-	"	ए-521 डी	157·92

1·7- एजेण्डा सं0 03/2001- 7 :- दी अम्बेडकर गृ·नि·स· समिति की योजना स्कीम नं0 5 (प्रवासी नगर) :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श प्रकरण को स्थगित किया गया और उपायुक्त, बी-3 को निर्देश दिये गये कि 200 फिट रोड् के दोनों ओर का (पूरी लम्बाई में) पी·टी· सर्वे प्रस्तुत किया जावे ।

1·8- एजेण्डा सं0 03/2001 -8 :- खुदाबादी सोनार गृ·नि·स समिति की योजना उदय नगर :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि निदेशक(आयोजना) प्रश्नगत रोड् का मौका देखे ।

1·9- एजेण्डा सं0 03/2001- 9 :- खुदाबादी सोनार गृ·नि·स· समिति की योजना मुरलीपुरा- प्रथम :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· भूखण्ड् सं0 25 से 35 और 36 से 44 कुल 20 भूखण्डों को सामने का सैट बैक 10 फिट और पीछे का सैट बैक 5 फिट छोड़ते हुए रो-हाउसिंग के रूप में अनुमोदित किया गया ।

.....4

2· भूखण्ड् सं0 54 मौके पर निर्मित है अत: भूखण्ड् सं0 54 को अनुमोदित किया गया और जो भाग भूखण्ड् सं0 54 का सिवायचक भूमि में आता है उसे राजकीय भूमि मानकर दर ली जावे ।

1·10- एजेण्डा सं0 03/2001- 10 :- खुदाबादी सोनार गृ·नि·स· समिति की योजना मुरलीपुरा -द्वितीय :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· भूखण्ड् सं0 100, 104, 105, 106 कुल 4 भूखण्डों को सैक्टर रोड़ की चौड़ाई 60 फिट मानते हुए अनुमोदित किया गया ।

2· भूखण्ड् सं0 94ए से 108 भिन्न-भिन्न साईज के है अत: इनको कोई भी अतिरिक्त भूमि नहीं दी जाये, चाहे सैक्टर रोड़ कही 60 फिट से ज्यादा का भी हो और इनके सैट बैक भी पूर्व अनुमोदित योजना के अनुसार यथावत रखे जाये ।

1·11- एजेण्डा सं0 03/2001- 11 :- शंकर भवन गृ·नि·स· समिति की योजना कैलाशपुरी :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श भूखण्ड् सं0 14,15,16 को रोड़ के केन्द्र बिन्दु से 80 फिट छोड़ते हुए शुन्य सैट बैक के साथ व्यावसायिक अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

1·12- एजेण्डा सं0 03/2001- 12 :- दी अम्बेडकर गृ·नि·स· समिति की योजना विजय नगर :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श भूखण्ड् सं0 46 से 53 कुल 8 भूखण्डों को नियमित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ये भूखण्ड् केन्द्रीय विधालय की कम्पाण्ड वाल से 3 फिट से 4 फिट छोडकर निर्मित है । इनका नियमन आरक्षित दर की 25% दर पर किया जाये ।

1·13- एजेण्डा सं0 03/2001- 13 :- खुदाबादी सोनार गृ·नि·स· समिति की योजना कैलाश नगर :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1· भूखण्ड् सं0 120 को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

···5

2· सड़कों का चौड़ाई पूर्व अनुमोदन अनुसार रखते हुए मौके के अनुसार भूखण्ड सं० 7,8 व 20 के पट्टे दे दिये जाये व नियमन राशि इन भूखण्डों में शामिल सरकारी भूमि का राजकीय दर से ली जाये ।

1·14- एजेण्डा सं० 03/2001- 14 :- जलमहल गृ·नि·स· समिति की योजना अंगिरा नगर :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श भूखण्ड सं० 116ए को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया । इस भूखण्ड को योजना मानचित्र में लेन के रूप में दर्शाया जाये ।

1·15- एजेण्डा सं० 03/2001- 15 :- सिन्धु नगर गृ·नि·स· समिति की योजना स्कीम नं० 4 (शिवपुरी) :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1· नियमानुसार सैट बेक छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलने के कारण भूखण्ड सं० 10 को अस्वीकृत किया गया और भूखण्ड स्वामी के इस भूखण्ड के पेटे जमा राशि को लौटाया जावे ।

2· भूखण्ड सं० 3 को अस्वीकृत किया गया क्योंकि यह कालवाड़ रोड़ की निर्धारित सीमा में आता है ।

1·16- एजेण्डा सं० 03/2001-16 :- छत्रपति शिवाजी गृ·नि·स· समिति की योजना रामनाथपुरी :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं० 1 से 7 का अनुमोदन रोका जाये और इनके पट्टे नहीं दिये जाये और विवाद का हल ढूंढा जाये ।

1·17- एजेण्डा सं० 03/2001- 17 :- शंकर भवन गृ·नि·स· समिति की योजना पंचशील कालोनी :-

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये:

1· भूखण्ड सं० सी-46 की "जहा है जैसा है" के आधार पर नीलामी की जाये ।

2· निम्नांकित भूखण्डों को नियमन राशि जमा नहीं कराने के कारण सुविधा

....6

क्षेत्र घोषित किया जावे -

ए-24, बी-2, बी-20, सी-33, सी-41 एवं सी-48 (कुल 6 भूखण्ड) ।

3. निम्नांकित भूखण्डों को नियमन राशि जमा कराने की शर्त पर सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाये -

ए-27, सी-2, सी-27, सी-28, सी-29 एवं सी-30 (कुल 6 भूखण्ड) ।

1.18- एजेण्डा सं0 03/2001-18 :- गुलाबबाडी गृ.नि.स. समिति की योजना अवधपुरी :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श भूखण्ड सं0 69 का 69 व 69 ए के रूप में एजेण्डा में दर्शाये अनुसार अनुमोदन किया गया । 69 ए का सड़क से अतिक्रमण हटाया जाए ।

1.19- एजेण्डा सं0 03/2001- 19 :- श्री महावीर नगर गृ.नि.स.समिति की योजना दुर्गा वाटिका :-

वरिष्ठ नगर नियोजक (कांपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा बताई गई वस्तुस्थिति व मौके की रिपोर्ट के प्रकाश में योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1. भूखण्ड सं0 1 से 9 को आवासीय रूप में अनुमोदित किया गया ।
2. दुकान सं0 1,3,4,5 7 से 12 को अनुमोदित किया गया ।
3. इस योजना से संबंधित अन्य निर्णय बीपीसी-II (कांपरेटिव) की बैठक सं0 84/2000 दिनांक 19-12-2000 के अनुसार होंगे ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (कांपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वनवि/कांपरेटिव/2001/डी-54

दिनांक : 05-3-2001

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक (आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- अति. आयुक्त (भू-रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1 एवं बी-3, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-II (कांपरेटिव)